भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 612672

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनाँक–12–अक्टूबर–2011 को डॉ0 सुरेश चन्द्र दक्ष पुत्र स्व0श्री फतेहसिंह दक्ष निवासी–311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया ।

1–ट्रस्ट का नाम– इरमा ग्रामीण विकास ट्रस्ट ।

2–ट्रस्ट का पता– 311/2, नया रसूलपुर माता वाली गली, फिरोजाबाद ।

शाखा कार्यालय– ट्रस्ट की शाखाये देश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है ।

3–ट्रस्ट में लगाया गया धन–ट्रस्ट में लगया गया धन 10,000/–(दस हजार रुपये) नगद धनराशि डॉ0 सुरेश चन्द्र दक्ष पुत्र स्व0श्री फतेहसिंह दक्ष निवासी–311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गई ।

" भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवम् स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा ।"

4–ट्रस्ट के तत्व– ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है:–

ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है । आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा ।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है ।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे:–

1–डॉ0 सुरेश चन्द्र दक्ष पुत्र स्व0श्री फतेहसिह दक्ष निवासी–311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद आयु–46 वर्ष लगभग

2–श्रीमती रजनी दक्ष पत्नी डॉ0 सुरेश चन्द्र दक्ष निवासी–311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद आयु–43 वर्ष लगभग

3–श्री लक्ष्मन गोला पुत्र स्व0श्री विद्याराम गोला निवासी–69/70, शास्त्रीपुरम, आगरा आयु–30वर्ष लगभग

क्रमशः—— 2 पर

सुरेशचन्द्र रजनीदक्ष

[illegible] ? [illegible] 5-10-11

[illegible] 100 [illegible]

[illegible] ई.ई.सी. ग्रामीण विकास ट्रस्ट फिरोजाबाद

[illegible] द्वारा अध्यक्ष श्री सुरेशचन्द्र [illegible]

[illegible] 311/2 [illegible] आलमगीर [illegible]

[illegible] फिरोजाबाद

[illegible] 7 [illegible] 700 [illegible]

शैलेन्द्र [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 612673

1– ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा बच्चों का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, एवं कलात्मक उन्नति का समुचित विकास करना ।

2– उच्च शिक्षा विकास हेतु युवक–युवतियों के लिये आधुनिक शिक्षा परक शिक्षा संस्थानों, तकनीकी, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, व्यवसायिक, कृषि एवं प्रबन्धन शिक्षा संस्थानों, मेडिकल कालेज, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कालेज आदि की स्थापना कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना ।

3– ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों की सुविधा हेतु क्रीडाकेन्द्र ओडिटोरियम एवं खेल सामग्री की उचित व्यवस्था करना ।

4– ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट, डिग्री कालेज, पी0जी0 कालेज तक के शिक्षा संस्थानों की स्थापना, उ0प्र0मा0 शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0, यू0जी0सी0 शिक्षा पद्धति से करना एवं उनका संचालन करना ।

4– निर्धन बालक–बालिकाओं को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व संस्थाओं के सहयोग से सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंग प्रशिक्षण तथा टंकण, एवं कम्प्यूटर (हार्डवेयर साफ्टवेयर, इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी) प्रशिक्षण, देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

5– समाज के उत्थान व नागरिकों के कल्याण हेतु, छात्रावास, वृद्धाश्रम, विकलॉग आश्रम, नारी उत्थान संस्थानों, अनाथालय, वृद्धाश्रम, चिकित्सालय, विश्रामगृहों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

6– समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रमों, सत्सग गोष्ठियों एवं सभाओं व जनजागृति कार्यक्रमों, एवं धमार्थ कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों में परस्पर एकता भाईचारे एवं सहयोग की भावना पैदा करना ।

7– निराश्रित बालक–बालिकाओं के कल्याण उन्हें शिक्षित करने हेतु आवासीय विद्यालय की स्थापना करना ।

8– ट्रस्ट के नाम अथवा अन्य नामों से शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि की स्थापना करना व उनका विधियत प्रबन्ध संचालन करना ।

क्रमश:----- 3 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 612674

9— देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाले ट्रस्ट/संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना तथा जो ट्रस्ट/संस्थायें कार्य करने में/संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन में अक्षम हों उनका अपने ट्रस्ट में विलय करना ।

10— वन्य प्राणियों की सेवा करना व जीव–जन्तुओं के कल्याण के लिये कार्य करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनायें व्यक्त करना तथा जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड पशुपालन बोर्ड, से सम्पर्क स्थापित करना तथा गौसरंक्षण व गौसंवर्धन के लिये कार्य करना एवं गौशाला आदि की स्थापना करना ।

11— अकाल, बाढ़, भूकम्प एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाओं से उत्पन्न संकट के समय जनता की सहायता के लिये हरसम्भव कार्य करना ।

12— प्राकृतिक जडी बूटियाँ एवं प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रह कर लोगों को होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिये उपलब्ध कराना ।

13— हर्बल उत्पादनों एवं वनस्पतियों की प्राकृतिक लकडी की मालायें, धातु मालायें, शीप, मूँगा–मोती, एवं प्राकृतिक पत्थर की मालाओं का निमार्ण करना एवं समय–समय पर जगह–2 आयोजित मेलों प्रदर्शनी राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में आदि में उसका विक्रय करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

14— प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, चुम्बकीय चिकित्सा, जडी–बूटियों से सम्बन्धित आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन एवं उसके प्रचार प्रसार द्वारा लोगों का आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों के समक्ष सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, प्रवचनों आदि के माध्यम से विभिन्न ग्रन्थों, वेदों की जानकारी लोगों को देना एवं उन्हें आध्यात्मपरक ढालकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना ।

15— होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज/नर्सिंग कालेज/नर्सिंग स्कूल व फार्मेसी कालेजों की स्थाना व उसका का प्रचार प्रसार व होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक औषधियों की खोज व औषधालयो की स्थापना व प्रबन्ध संचालन करना ।

16— युवाओं को उपभोक्ता फोरम, मानवाधिकारों की जानकारी देना व उपभोक्ताओंको उनके अधिकारो के प्रति जागरुक करना व उन्हें निशुःल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

17— समाज व देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने हेतु नागरिको को जागरुक करना व सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्र के विकासार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन करना ।

क्रमशः——4 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 612675

6– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारतवर्ष ।

7– ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य–ट्रस्ट मे जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन व अनुदान दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाते में किसी भी बैंक में जमा की जायेगी । जो जनहित तथा ट्रैस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी बैंक खाता आपरेट के लिये अध्यक्ष ट्रस्टी एवं सचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर होगें। समस्त धनराशि बैंक में जमा रहेगी । ट्रस्ट के नाम बैंक खाते में में जमा धनराशि अध्यक्ष या सचिव में से किसी एक के हस्ताक्षर से लेन देन हुआ करेगा ।

8–ट्रस्टियों की नियुक्ति– ट्रस्ट मै वर्तमान में एक मुख्य आजीवन ट्रस्टी एक आजीवन ट्रस्टी की नियुक्ति की गयी है जो ट्रस्ट में आजीवन पदाधिकारी रहेगें । इनकी मृत्यु के बाद उनका वंशज/उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का पदाधिकारी/आजीवन ट्रस्टी होगा। डॉ0 सुरेश चन्द्र दक्ष मुख्य ट्रस्टी एवं श्रीमती रजनी दक्ष आजीवन ट्रस्टी के वंशज के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी यक्ति भविष्य में ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं होगा।

9–ट्रस्ट की सदस्यता–ट्रस्ट को भविष्य मे 1,00,000/–(एक लाख रूपया) रूपया या इससे अधिक अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति देने पर आजीवन सभी ट्रस्टी सदस्यों के बहुमत से ट्रस्ट का ट्रस्टी सदस्य बनाया जायेगा ।

10–संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमितियों में नामित सदस्य–

ट्रस्ट द्वारा संचालित इन्स्टीट्यूट, कालेज व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं की प्रबन्धसमितियों में आजीवन ट्रस्टी सदस्यों को ही अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक पद के लिये भेजा जायेगा, ट्रस्टी पदाधिकारीगण ही संचालित संस्थानों के पदाधिकारी होगें, अन्य सदस्यों के लिये ट्रस्टी पदाधिकारी जिसे उपयुक्त समझें ट्रस्टीजनों में से संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमिति में सदस्य पद पर भेज सकेगें। परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या 7 से अधिक न होगी ।

विशिष्ट सदस्य–विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति पाँच वर्ष के लिये ट्रस्टी पदाधिकारियों की आम सहमति से विशिष्ट सदस्य नामित किये जा सकेगें । ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम पाँच होगी । ऐसे सदस्यों को किसी मीटिंग/निर्वाचन आदि में मत आदि देने का अधिकार न होगा।

क्रमशः—— 5 पर

सुरेश चन्द्र रजनी दक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 5 — AT 612676

11—ट्रस्ट मण्डल(प्रमुख)—

ट्रस्ट में डॉ0 सुरेश चन्द दक्ष पुत्र स्व0श्री फतेहसिंह दक्ष निवासी—311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद अध्यक्ष एवं श्रीमती रजनी दक्ष पत्नी डॉ0 सुरेश चन्द दक्ष निवासी—311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद सचिव ट्रस्ट के आजीवन पदाधिकारी रहेगें ।

इनकी मृत्यु के बाद उनका वंशज/उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का ट्रस्टी/पदाधिकारी होगा जिसे पूर्व पदाधिकारी/ट्रस्टी के समान ही समस्त अधिकार प्रदत्त होगें ।

12—ट्रस्टियों की संख्या— ट्रस्ट में निम्न दो पदाधिकारी रहेगें सदस्यों की संख्या भविष्य में निम्न ट्रस्टियों के बहुमत से घटाई/बढाई जा सकती है जिनकी अधिकतम संख्या—7 होगी ।

कम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1—डॉ0 सुरेश चन्द दक्ष पुत्र स्व0श्री फतेहसिंह दक्ष	निवासी—311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद	अध्यक्ष	पत्रकारिता
2—श्रीमती रजनी दक्ष पत्नी डॉ0 सुरेशचन्द्र दक्ष	निवासी—311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद	सचिव	गृहकार्य
3—श्री लक्ष्मन गोला स्व0श्री विद्याराम गोला	निवासी—69/70, शास्त्रीपुरम, आगरा	सदस्य	व्यापार

13—ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—

अध्यक्ष— 1—समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2—सभा में किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3—ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी विधि सलाहकार के सहयोग से करना व करवाना ।

4—ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों/कालेजों, अन्य इकाईयों धमार्थ संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों सेवादारों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, —

——कमशः—— 6 पर

सुरेश चन्द्र   रजनी दक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 612677

पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

5–ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

6–आकस्मिक व्यय हेतु 50,000/–रूपया तक अपने पर रखना व व्यय करना ।

7–कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना, शिक्षण संस्थानों की मान्यता सम्बद्धता आदि के सम्बन्ध में पत्राचार करना व सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित कर सम्बद्धता प्राप्त करना ।

8–ट्रस्ट की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चन्दा ऋण, प्राप्त करना, व सदस्यों को उसकी रसीद देना ।

9–ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

<u>सचिव</u> –

1–ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, अध्यक्ष के आदेश से मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2–ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार कर स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष मीटिंग में रखना ।

3–कार्यों की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब किताब आदि की आडीटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से जॉच कराना, और जॉच रिपोर्ट व हिसाब को प्रबन्ध कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

4–ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना, एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण कराना ।

5–ट्रस्ट हितार्थ अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उन्नति एवं विकास में सहायक हों ।

14 1. ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मार्थ संस्थानों व शिक्षण संस्थाओं के लिये प्रबन्धसमिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 612678

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों एवं अन्य धमार्थ संस्थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति आजीवन ट्रस्टी सदस्यों में से ही की जायेगी तथा शेष सदस्यों को ट्रस्टी पदाधिकारियों द्वारा पाँच वर्ष के लिये नामित किया जायेगा ।

3. इरना ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी डॉ0 सुरेश चन्द्र दक्ष पुत्र स्व0श्री फतेहसिंह दक्ष निवासी–311/2, नया रसूलपुर, माता वाली गली, फिरोजाबाद हैं ट्रस्ट द्वारा स्थापित समस्त विद्यालय, कालेज व डिग्री कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेजों, व अन्य शिक्षण संस्थानों, धर्मार्थ संस्थानों, नर्सिंग स्कूल नर्सिंग कालेज, औषधालयों/आयुर्वेदिक कालेजों का विधिवत सुचारू रूप से संचालित कराने का पूरा अधिकार व दायित्व डॉ सुरेश चन्द दक्ष जी का ही व उनके वंशज/उत्तराधिकारीगणों का रहेगा।

15 ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसान, मृत्यु या कोई भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मण्डल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 2/3 बहुमत के निर्णय के आधार पर सदस्यता/पद समाप्त हो जाता है तो ऐसे पद/स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी व आजीवन ट्रस्टी को रिक्त स्थान/पद को भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा ।

16 ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी पदाधिकारियों को ट्रस्ट सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट हित में निस्तारित करने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव उक्त सदस्यों से एक मत से पारित किया जाना आवश्यक होगा ।

17 ट्रस्ट के ट्रस्टी पदाधिकारियों को यह अधिकार रहेगा वह किसी ऐसे ट्रस्टी को पद से हटा सकता है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जो उक्त ट्रस्ट के लिये अवांछनीय अथवा ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाधक हो। अपने उक्त निर्णय को मुख्य ट्रस्टी द्वारा कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा ।

18 ट्रस्ट के ट्रस्टी पदाधिकारीगणों को ट्रस्ट सम्पत्ति को ऋण के ऐवज में बन्धक रखने का भी अधिकार हासिल होगा, और इस सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को ऋण प्राप्त करने के लिये अथवा ऋण के ऐवज में ट्रस्ट सम्पत्ति को बन्धक रखने के लिये अधिकृत किया जायेगा । उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट अध्यक्ष ट्रस्ट की सम्पत्ति अथवा अपनी व्यक्तिगत सम्पत्तियों को ट्रस्टीजन किसी बैंक आदि के पक्ष में बन्धक रखते हुये वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त कर सकेगें । जिसका दायित्व सभी ट्रस्टीगणों का समान रूप से होगा ।

क्रमशः —— 8 पर

सुरेशचन्द्र रजनीदक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 360591

(8)

19– ट्रस्टीगणों को यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय समय पर ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एंव प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उप नियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन करें अथवा नये नियमों /उपनियमों का निर्माण करें । प्रतिबन्ध यहकि ऐसे नियम व उपनियम इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट –1882 व आय कर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) 11 से 13 एवं 80 जी के प्रावधानो के विपरीत न हो।

20– ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी व ट्रस्ट की सम्पत्तियों के रख रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का दायित्व ट्रस्टी पधाधिकारियों का होगा ।

21– ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्टीगण द्वारा प्रत्तद की गयी शक्तियों व उत्तरदायित्वो के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट –1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेगें।

सुरेश चन्द्र रजनी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 360592

22– ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक चन्दा, अनुदान वित्तीय सहायता आदि प्राप्त कर सकगें एवं देश विदेश में अचल सम्पत्तियों शेयर मैच्युअल फण्ड आदि में निवेश करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को होगा।

23– ट्रस्टीगण समय समय पर अपने बहुमत से लिए गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति या उसके अंश को बन्धक करकें जैसा उचित समझे ट्रस्टीगणों द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेगे अथवा ऋण दे सकेगें।

24– ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा 12 व 13 के अन्तर्गत की प्रयुक्त किये जायेगें।

सुरेश चन्द्र रजनीचन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AB 233921

(10)

25– ट्रस्ट का उपयोग व्यक्तिगत हितों के लिए नही किया जायेगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड उपरोक्त ट्रस्टीजनों द्वारा राजी व खुशी से बिला बहकाये व सिखाये व बिला किसी नाजायज के दबाव के लिख दिया ताकि सनद हो और समय पर काम आवें। तहरीर तारीख 12.10.2011 व मसौदा दिया श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट तह0 व जिला फिरोजाबाद।

गवाहः– पीयूष शर्मा
पुत्र श्री प्रमोद कुमार शर्मा
निवासी 95 छोटी छपैटी
तह0 व जिला फिरोजाबाद

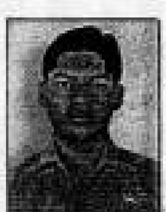

प्र. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
तहसील सदर
फिरोजाबाद

आज दिनांक 12/10/2011 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 117

पृष्ठ सं. 375 से 394 पर क्रमांक 17

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र मौर्य
उपनिबन्धक सदर प्रथम
फिरोजाबाद
12/10/2011